कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी हमीरपुर, वन प्रभाग हमीरपुर।

पत्रांक– 42 / 33–1 / हमीरपुर, दिनांक– 31 अक्टूबर 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

हमीरपुर,वन प्रभाग हमीरपुर।

विषयः–जनपद–हमीरपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला– हमीरपुर में प्रभावित 0.8186 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 581 वृक्षों/पौधों के पातन एवं 1.67 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा बाधक 1893 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल 2.4886 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2474 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका कार्या0 पत्रांक–859/33–1/दिनांक–13.10.2022

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है, कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा आपत्तियॉ लगायी गयी है, आपत्तियों के निराकरण हेतु आप द्वारा मॉगी गई निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या इस प्रकार है।

1. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि पूर्व में वन भूमि के रूप में अधिसूचित नही है। पारा वन ब्लाक से सटी हुई है।
2. प्रभावित होने वाली आरक्षित वन भूमि को बचाते हुये पाइप लाइन नही बिछायी जा सकती है।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य के आगणन के लिए प्रभावित होने वाली वन भूमि की वन श्रेणी **तृतीय** है तथा घनत्व–**0.1** है।

अतः आख्या रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

क्षेत्रीय वनाधिकारी

हमीरपुर रेन्ज।

अधिशाषी अभियंता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) महोबा-210427

email id : eecivilmahoba_upjn@yahoo.com
eecdjnmh-up@nic.in

Contact No. (E.E.) : +91-9473942756
Phone/Fax No. :05281-244558

पत्रांक: 1177/ W-37 / 126 **दिनांक:** 01-11-2022

क्षेत्रीय वनाधिकारी हमीरपुर के साथ प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित आरक्षित वन भूमि के एवज में दी गयी गैर वनभूमि पारा वनक्षेत्र से सटी हुई है।

(संदेश सिंह तोमर)
अधिशाषी अभियंता

Executive Engineer
Division Office
U.P.Jal Nigam (Rural)
Mahoba

अधिशाषी अभियंता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) महोबा-210427

email id : eecivilmahoba_upjn@yahoo.com
eecdjnmh-up@nic.in

Contact No. (E.E.) : +91-9473942756
Phone/Fax No. :05281-244558

पत्रांक: 1176 / W-37 / 125 दिनांक: 01-11-2022

प्रमाण पत्र

पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु आरक्षित वन भूमि को प्रभावित किये बिना कोई वैकल्पिक मार्ग नही है तथा पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तैयार किया गया संरेखण न्यून्तम प्रभावित आरक्षित वन भूमि हेतु है ।

(संदेश सिंह तोमर)
अधिशासी अभियंता

Executive Engineer
Division Office
U. Jal Nigam (Rural)
Mahoba

अधिशाषी अभियंता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), महोबा–210427

email id : eecivilmahoba_upjn@yahoo.com
eecivilmahoba.upjn.rural@gmail.com

Contact No. (E.E.) : +91-9473942756
Phone/Fax No. : 05281-244558

पत्रांक 1111 / W-37 / 120 दिनांक :- 10-10-2022

प्रमाण पत्र

प्रमाणित्त किया जाता है कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत जो पाइप लाइन वन क्षेत्र में बिछायी जानी प्रस्तावित है उसका कोई कोई और वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(संदेश सिंह तोमर)
अधिशासी अभियन्ता

E.E.
Er. S.S.Tomar
Executive Engineer
Const. Div.(Civil)
U.P.Jal Nigam(Rural), Mahoba